सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 240/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–22.10.2024

1. रामसिंह आ0 छीतरलाल जाति बलाई निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक :– 25/08/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि नया खाता संख्या 27 पुराना 32 की भूमि खसरा संख्या 1204, 1205, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1216, 1217, 509 कुल किता 10 कुल रकबा 1.3031 हैक्टेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा प0म0 गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है, उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र छीतर दर्ज हो रहा है। भूमि खाता संख्या नया 47 पुराना 50 की भूमि खसरा संख्या 510 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा प0म0 गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है, जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र छीतर व जाति मीणा अंकित हो रही है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेन कार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामसिंह व जाति बलाई दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रमेश व चरण संख्या 2 में प्रार्थी की जाति मीणा दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम रामसिंह है एवं जाति बलाई है। और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी रामसिंह व जाति बलाई दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर रमेश के स्थान पर रामसिंह व जाति मीणा के स्थान पर जाति बलाई किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राज.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाॅ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाए बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 05.10.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में विर्णत भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम रमेश के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर रामसिंह व चरण संख्या 2 में प्रार्थी की जाति मीणा के स्थान बलाई दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम रामसिंह व जाति बलाई दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम गोकुलपुरा प0म0 तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा प0म0 गोकुलपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रमेश के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर रामसिंह व चरण संख्या 2 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी की जाति मीणा के स्थान पर बलाई दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान की करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :— राजस्व / 25 / 1672 दिनांक :—06.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम गोकुलपुरा के खाता संख्या 47 में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र छीतर जाति मीना व खाता संख्या 2 में रमेश पुत्र छीतर बलाई दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा—ए—आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों / सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बर में दर्ज गेपाल पुत्र माधो व गोपाल पुत्र माधो एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज रमेश पुत्र छीतर के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र छीतरलाल व जाति बलाई दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है व जाति मीणा के स्थान पर बलाई सग्रीगेशन के दौराने हुई है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र छीतरलाल व जाति बलाई है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, जन–आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र छीतरलाल व जाति बलाई दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा के खाता संख्या 47 में दर्ज सहखातेदार रमेश पुत्र छीतर के स्थान प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र छीतरलाल व जाति मीना के स्थान पर बलाई व खाता संख्या 27 में दर्ज सहखातेदार रमेश पुत्र छीतर के स्थान प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र छीतरलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

25/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)